



6

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

श्री ए.ग. उ. ठाकुर क्रमांक 23 का
द्वारा आज दि 2-1-17
प्रस्तुत

/2017 निगरानी

R64-I-17

मेहरवान पुत्र कल्लू यादव निवासी-ग्राम
पनिहारी तहसील प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ

— आवेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

बनाम

- ✓ 1. चैनु
- ✓ 2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री मोती प्रसाद यादव
निवासी-ग्राम पनिहारी तहसील प्रथ्वीपुर
जिला टीकमगढ
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार
नेगवा तहसील प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 26-12-2016 पारित द्वारा नायब
तहसीलदार नेगवा तहसील प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ के प्रकरण
क्रमांक 522 बी/121/15-16 व उन्वान चैनु गोविन्द सिंह बनाम
मेहरवान यादव

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, अनावेदकगण चैनु, गोविन्द सिंह निवासी ग्राम पनिहारी तहसील प्रथ्वीपुर द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार नेगवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.-64-एक/2017

जिला टीकमगढ़

मेहरबान विरुद्ध चैन्

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-08-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत आवेदक मेहरबान सिंह के अभिभाषक अनुपस्थित । गत 4 पेशियों से आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित । 2. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित । 3. अनावेदक अभिभाषक के द्वारा आवेदन देकर अवगत कराया है कि नायब तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26-12-2016 के अनुक्रम में थाना प्रभारी पृथ्वीपुर के द्वारा दिनांक 29-12-2016 के प्रथम सूचना दर्ज की जाने के कारण प्रचलन योग्य नहीं होने के कारण आवेदक का निगरानी आवेदन निरस्त किया जाये । आवेदक के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की है । 4. मेरे द्वारा 26-12-2016 की आदेश पत्रिका का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार निर्माण कार्य पर स्थगन के आदेश का उल्लंघन करने के कारण थाना प्रभारी को धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है । 5. चूंकि उक्त आदेश पत्रिका म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है, उक्त पत्रिका पूर्व के आदेश के पालन कराने के लिये लिखी गयी है । 6. अतः उपरोक्त के अनुक्रम में निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है । 	

सदस्य 13.8.18